

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अनुसार 02 दुर्घटना में मृत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मो०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विकास कुमार, 27, श्री रामजीत सहनी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	श्री रामजीत सहनी, (पिता)	168 06.02.2026 817 06.07.2026	ग्रा०-सरेया, पो०-गोपालगंज, था०+प्र०- गोपालगंज, जिला-गोपालगंज, 9508433656	2229010 0000709 2	INDIAN OVERSE AS BANK IOBA000 2229	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, सेन्ट्रींग का कार्य
2	स्व० सेराज अहमद, 31, श्री महबुब मियाँ, उर्फ महबुब आलम, अत्यंत पि० वर्ग	श्री महबुब मियाँ, (पिता)	295 18.03.2026 817 06.07.2026	ग्रा०-रिखई टोला, पो०+था०+प्र०-थावे, जिला-गोपालगंज, 9939417314	3493776 046	CBI CBIN028 1526	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, इलेक्ट्रीशियन का कार्य
3	स्व० रामेश्वर प्रसाद, 35, स्व० नन्द बिहारी प्रसाद, पिछड़ा वर्ग	बबुनती देवी, (पत्नी)	299 18.03.2026 817 06.07.2026	ग्रा०-बनकटी, पो०-महुआ, था०+प्र०-बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज, 9939834251	4010479 263	CBI CBIN028 0035	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य

कुल राशि:-रु० 4,50,000/-

(चार लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-28/2025 (अंश)-1002

ह०/-

(राजेश भारती)

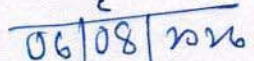
कार्यकारी निदेशक

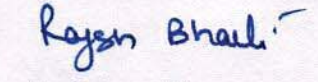
पटना, दिनांक :- 1.2.2025/22/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि



उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु0 4,50,000/-**(चार लाख पचास हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, गोपालगंज/उप श्रमायुक्त, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


06/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक